राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री ऋषिकेश मीना, पूर्व सदस्य, आठवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़, जयपुर का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016;.

(III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड़ का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

(IV) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

2- श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड़, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट ; एवं

(II) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

3- श्री युनूस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

4- श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-2016 ; एवं

II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

5- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ; एवं

II- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

6- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2015-2016 ;

II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;

III- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;

IV- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016 ;

V- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016 ; एवं

VI- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड़ का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016.

जारी..3..

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. विधायी कार्य
पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-9)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(I) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान राज्य में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

<u>(III) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017</u>

(I) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

<u>6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद</u>

(1) श्रीमती अलका सिंह (विभाजन संख्या-14), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगी कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

(2) श्री रामलाल शर्मा (विभाजन संख्या-149), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 फरवरी, 2017